

भूमि सुधार उपसमाहर्ता का न्यायालय, सरायकेला

टी० ए० मिस वाद संख्या 189A/2015-16

हरिलाल मुर्मू बनाम चन्दमुखी हांसदा

:: आदेश ::


दिनांक

पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर

अभ्युक्ति

अभिलेख उपस्थापित। बिक्रेता हरिलाल मुर्मू, पिता स्व० गायना मुर्मू, ग्राम-छोटा गम्हरिया, थाना-गम्हरिया, जिला-सरायकेला-खरसावाँ ने पारिवारिक खर्च हेतु क्रेता चन्दमुखी हांसदा पिता सुनील हांसदा, ग्राम-श्रीरामपुर, थाना-गम्हरिया, जिला-सरायकेला-खरसावाँ को निम्नांकित भूमि की बिक्री करने के लिए छोटानागपुर कस्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत अनुमति हेतु अनुरोध किये थे। न्यायालय द्वारा निर्गत सूचना एवं आवेदन का तामिला अप्राप्त है। आवेदक पक्ष की ओर से कोई पैरवी या रुचि नहीं लिया गया। ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदक का यथा आवश्यकता पूर्ण हो गयी है।

अतः ऐसे स्थिति में वाद को निस्तार किया जाता है। आवेदक यदि चाहे तो पुनः आवेदन समर्पित कर सकते हैं।


05/06/18
भूमि सुधार उप समाहर्ता,
सरायकेला।